WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

JUNE 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax: 0121-4346686**

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से फॉरेन ट्रेड पालिसी - 2023 और विदेशी व्यापार में अवसर पर परिचर्चा
- करदाताओं के बैंकिंग लेनदेन पर अब जीएसटी की निगरानी
- जीएसटी विभाग अब बैंकिंग लेनदेन पर भी नजर रखेगा
- नोटिस का जवाब नहीं देने वालो की जांच करेगा आयकर विभाग
- आयकर रिटर्न भरने को फॉर्म- 2 जारी
- कर से बचने को कार्ड से तय दायरे में खर्च करना होगा
- करदाताओं को राहत देने के लिए टीडीएस से टीसीएस को जोड़ने की तैयारी में सरकार : सीईए
- महिला सम्मान प्रमाणपत्र में टीडीएस नहीं कटेगा
- टीडीएस विवाद के लिए ई-अपील योजना शुरू
- होटल-लॉज चलाने को अनिवार्य होगा पंजीकरण
- पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति बेचने के अधिकार पर अब लगेगी पूरी स्टांप ड्यूटी
- केबल या पाइपलाइन बिछाने के लिए बार बार खोदी नहीं जाएंगी सड़कें
- पांच करोड़ अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए भी ई - चालान जरुरी
- ई- चालान अपलोड करने की शर्त तीन माह टाली
- बकाये का 25 फीसदी देकर बिजली चालू करा सकेंगे
- बिजली उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा
- निर्यातकों की ब्याज सब्सिडी सीमा तय
- भूखंड पर 10 साल निर्माण नहीं तो 40% लगेगा शुल्क
- ईपीएफओ: उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त भुगतान पर सहमति देने को मिलेगा तीन महीने का समय
- 25 लाख रूपये तक के अवकाश नकदीकरण पर नहीं लगेगा टैक्स
- केवाईसी नहीं होने पर बंद न हो बैंक खाता
- शहर में स्थापित होगा डाक निर्यात केंद्र
- ट्रेडस ने दूर किया एमएसएमई के भुगतान का संकट
- दूर होती लाजिस्टिक लागत की चुनौती
- Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स की ओर से फॉरेन ट्रेड पालिसी - 2023 और विदेशी व्यापार में अवसर पर परिचर्चा

हब बनाकर तीन उत्पादों का हर जिले से होगा निर्यात

विदेश व्यापार महानिदेशालय के सहायक महानिदेशक पलानी फणी किरन एस ने बताया कि भारत में बने उत्पाद विदेश बेचने के मामले में प्रमुख शहर या औधोगिक क्षेत्र ही आगे है, जबकि हर जिले में कोई न कोई उत्पाद ऐसा है जिसकी विदेश में मांग है या फिर बड़े स्तर पर हो सकती है। इसलिए भारत सरकार जल्द ही जिला स्तर पर निर्यात हब विकसित करेगी। इसके लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता वाली कमेटी की अगुवाई में डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब प्रोग्राम शुरू होगा।

वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ओर से बांबे बाजार स्थित चैम्बर भवन में फारेन ट्रैड पालिसी -2023 को समझने और विदेश व्यापार में अवसर पर परिचर्चा आयोजित की गई। इसमें सहायक महानिदेशक ने बताया कि जिला निर्यात हब में एक जिला एक उत्पाद

ओडीओपी, जीआइ टैग प्राप्त उत्पाद के साथ ही कुछ अन्य प्रमुख उत्पाद शामिल किए जाएंगे। कम से कम तीन उत्पादों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसमें ई- कॉमर्स प्लेटफॉर्म और डाकघरों को सहायक बनाया जाएगा। दिल्ली की कंपनी रैमसन नेटवर्क से महावीर मेहता ने विदेश से व्यापार करने में उनकी कंपनी से उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया गया।

वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता ने नए उधमियों-व्यापारियों की ओर से सवाल पूछा कि नए लोग कैसे निर्यातक बनें - इस पर जवाब मिला कि इसके विभिन्न चरण होते है। महानिदेशालय की वेबसाइट, आइआइए और खेल उत्पाद निर्यात परिषद, डीजीएफटी के मोबाइल एप, यूट्यूब चैनल, आइटीसी एकेडमी की वेबसाइट से जानकारी ले सकते है। खेल उत्पाद निर्यात परिषद प्रदर्शनी भी लगाती है, जिसमे विदेशी खरीदार आते है। प्रदर्शनी के लिए सरकार कंपनियों को स्टाल के लिए सब्सिडी देती है।

निर्यात के अर्थदंड मामले में ले एमनेस्टी स्कीम का लाभ

यदि आपके किसी उत्पाद या आर्डर के निर्यात मामले पर अर्थदंड लग गया है या किसी गलती से अधिक कर देना पड़ गया है तो सरकार इसके लिए एमनेस्टी स्कीम लेकर आई है। इसमें कस्टम ड्यूटी समेत विभिन्न मामलो पर छूट मिल सकती है इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर रखी गई है।

विदेश में सामान बेचने को समझाएंगे विदेशी व्यापार नीति

इसी साल एक अप्रैल से विदेश व्यापार नीति 2023 लागू हुई है। तीन साल की देरी से लागू हुई इस नीति को समझाने, लाभ बताने को लेकर महानिदेशालय की ओर से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। विभिन्न संगठनों के साथ परिचर्चा आयोजित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक व्यापारी उधमी निर्यात के लिए आगे आए।

खेल सामग्री उत्पादन बढ़ेगा, 30 प्रतिशत पहुंचेगा आयात शुल्क

खेल सामग्री का उत्पादन बढ़ाकर देश को आत्मनिर्भर बनाने और निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से अब खेल सामग्री के आयात पर शुल्क धीरे - धीरे बढ़ाया जाएगा। खेल उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद के कार्यकारी निदेशक तरुण दीवान ने बताया कि अभी तक खेल उत्पाद का आयात शुल्क 10 प्रतिशत था, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया है। अब इसे 30 प्रतिशत तक पहुँचाया जाएगा। वह बांबे बाजार स्थित वेस्टर्न यूपी चैंबर भवन में आयोजित विदेश व्यापार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि खिलौनों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसके उत्पादों पर आयात शुल्क 60 प्रतिशत पहले हो चूका है। अब भारत खिलौनों उत्पादन में प्रमुख देशो में शामिल हो रहा है। खेल उत्पाद निर्यात में 45 प्रतिशत हुई मेरठ की हिस्सेदारी : खेल उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद के कार्यकारी निदेशक तरुण दीवान ने बताया कि खेल उत्पाद के निर्यात में जालंधर और मेरठ दो बड़े प्रमुख शहर है। पांच साल पहले मेरठ का निर्यात 30 प्रतिशत था, लेकिन इन वर्षो में 15 प्रतिशत उन्नति करके 45 प्रतिशत निर्यात की हिस्सेदारी करने लगा है। पहला स्थान जालंधर का है। हालांकि इसे लेकर अलग -अलग तर्क सामने आए। खेल उत्पाद निर्यात प्रोत्साहन परिषद के वाइस चेयरमैन व खेल उत्पादक कंपनी पीआर स्पोर्ट्स के प्रबंध निदेशक सुमनेश अग्रवाल ने बताया कि मेरठ का निर्यात प्रतिशत 38 और जालंधर का 55 है। वर्तमान में 985 करोड़ रूपये है। टेबल टेनिस उत्पादों के प्रमुख निर्यातक और स्टैग इंटरनेशनल कंपनी के प्रबंध निदेशक राकेश कोहली इन तथ्यों में जानकारी बढ़ाते हुए बोले कि मेरठ अब जालंधर से पीछे नहीं रहा, लगभग बराबर पहुंच गया है। क्योंकि 985 करोड़ रूपये मेरठ का निर्यात है और 1200 करोड़ रूपये में देश के बाकी शहर है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

करदाताओं के बैंकिंग लेनदेन पर अब जीएसटी की निगरानी

जीएसटी प्राधिकरण करदाताओं के रीयल टाइम बैंकिंग लेनदेन की जानकारी जुटाने की योजना पर काम कर रहा है। इसके जरिये कारोबारियों के नकली चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के ज्यादा उपयोग का पता लगाया जाएगा। जीएसटी पंजीकरण के समय करदाता केवल एक बैंक खाते का विवरण देता है। लेकिन, ऐसा भी देखा गया है कि कारोबारी कई बैंक खातों का उपयोग करते हैं। ऐसे में बैंकिंग लेनदेन से ऐसे फर्जीवाड़े का पता चल सकेगा। हालांकि, ज्यादातर मामलों में यही पाया गया है कि जब तक बैंकिंग लेनदेन का पता लगाया जाता है, तब तक कंपनियां फरार हो जाती हैं। इसलिए, जीएसटी अधिकारी अब आयकर विभाग की तरह तेजी से रीयल टाइम बैंकिंग लेनदेन के आंकड़ों को जुटाना चाहते हैं।

हालिया जांच के बाद उठाया गया है कदम

सूत्रों ने कहा, इस मुद्दे को अब केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) भी उठा रहा है, ताकि कर चोरी पर अंकुश लगाया जा सके। इसके लिए जरूरत पड़ी तो आरबीआई से भी मदद ली जा सकती है। जीएसटी अधिकारी संभावित कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए सेवा से संबंधित उद्योगों के जोखिम मापदंडों में और अधिक डेटाबेस शामिल करने की योजना बना रहे हैं। यह कदम हाल की जांच के बाद उठाया गया है। मुखौटा कंपनियां भी फर्जी बिलों से यही काम कर रही हैं।

फर्जी पंजीकरण रोकने के लिए अभियान शुरू

फर्जी जीएसटी पंजीकरण का पता लगाने और फर्जी इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) के दावे का अनुचित फायदा उठाने वाले धोखेबाजों की पहचान के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर अधिकारियों ने दो माह का एक विशेष अभियान शुरू किया है। 2022-23 में एक लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसटी कर चोरी होने का अनुमान है। इसे देखते हुए कर अधिकारियों ने फर्जी पंजीकरण पर नकेल कसने की कवायद शुरू की है। फिलहाल देशभर में जीएसटी प्रणाली के तहत करीब 1.39 करोड़ करदाता पंजीकृत हैं।

जीएसटी विभाग अब बैंकिंग लेनदेन पर भी नजर रखेगा

टैक्स चोरी रोकने के लिए माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग अब बैंकिंग लेनदेन पर भी पैनी नजर डालने की तैयारी कर रहा है। इसको लेकर जीएसटी विभाग जल्द नए नियम लागू कर सकता है। हाल ही में जीएसटी विभाग ने जांच में खुलासा किया है कि फर्जी बिल के जरिए अनुचित टैक्स क्रेडिट हवाला लेनदेन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कई मामलों में पाया गया है कि बैंकिंग लेनदेन के जरिए फर्जी बिल बनाने वाले व्यक्ति के पास आखिरी ट्रांजेक्शन में पैसा वापस आ रहा है। वहीं, शेल कंपनियां भी फर्जी बिलों के जरिए पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। जीएसटी पंजीकरण के दौरान करदाता सिर्फ एक बैंक खाते का विवरण देता है और एक व्यवसाय में कई खातों का उपयोग कर सकता है।

नोटिस का जवाब नहीं देने वालो की जांच करेगा आयकर विभाग

आयकर विभाग अब नई जांच की तैयारी में है। इसके तहत ऐसे आयकरदाताओं की अनिवार्य जांच की जाएगी, जिन्होंने विभाग के भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है। उन मामलों की भी जांच होगी, जहां कर चोरी के संबंध में विशिष्ट जानकारी किसी कानून प्रवर्तन एजेंसियों या नियामक प्राधिकरणों ने दी है। आयकर विभाग ने कहा, कर अधिकारियों को आय में गड़बड़ियों के बारे में आयकरदाताओं को 30 जून तक नोटिस भेजना होगा। इसके बाद आयकरदाता को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे।

अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है तो ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग ऐसे मामलों की सूची जारी करेगा, जिनमें सक्षम प्राधिकरण की छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद आयकरदाता आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है।

- 30 जून तक गड़बड़ी करने वाले करदाताओं को भेजना होगा नोटिस

जीएसटी चोरी करने वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 2019-20 और उसके बाद जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर्स (एसओपी) जारी किया है। इनका इस्तेमाल जीएसटी की एनालिटिक्स यूनिट की ओर से विभिन्न प्रकार के जोखिम के आधार पर जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी करने के लिए होगा।

- स्क्रूटनी के लिए जीएसटी रिटर्न का चयन डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एनालिटिक्स एंड रिस्क मैनेजमेंट करेगा।
- चुने जीएसटीआईएन से जुड़ी सभी जानकारी उससे जुड़े केंद्रीय कर अधिकारी के स्क्रूटनी बोर्ड पर दिखेगी।
- जोखिम मापदंडों की गणना के लिए डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाटा को एक विशेष पाइंट के समय पर उत्पन्न किया गया है, इसलिए इसमें रिटर्न की जांच के समय बदलाव हो सकता है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

आयकर रिटर्न भरने को फॉर्म- 2 जारी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऑफलाइन रिटर्न भरने को आईटीआर-2 फॉर्म जारी कर दिया है। इसे उन आय करदाताओं को भरना होगा, जिनकी वेतन के अलावा आवासीय संपत्ति से भी आय अर्जित होती है। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए संबंधित फार्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा। फिर इसे फार्म -16 से मिलान करते हुए या वित्त वर्ष 2022 -23 के दौरान हुई कुल आय के अनुसार भरना होगा। इसमें कुल आय, बचत और टीडीएस की जानकारी भरनी होगी। फिर फार्म को स्कैन कर आयकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इससे पहले विभाग ने ऑफलाइन आईटीआर-1 और आईटीआर- 4 फार्म जारी किये थे।

कौन भर सकता है

यदि किसी करदाता का सालाना वेतन 50 लाख रूपये या इससे ज्यादा हैं तो उसे आईटीआर- 2 फॉर्म भरना होगा। इसके तहत एक से ज्यादा संपत्ति से अर्जित आय, निवेश से मिले लंबी अवधि का पूंजीगत लाभ या हानि, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड आय, खेती से हुई आमदनी या लॉटरी- घुडदौड में जीती रकम से हुए मुनाफे के बारे में बताना होता है।

कर से बचने को कार्ड से तय दायरे में खर्च करना होगा

सरकार ने कहा कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में एक वित्त वर्ष में सात लाख रूपये तक खर्च पर स्त्रोत पर कर संग्रह (टीडीएस) नहीं कटेगा। इससे ऊपर खर्च सीमा जाने पर 20% कर के दायरे में आ जाएंगे। यह स्पष्टीकरण उस फैसले के बाद आया है, जिसमे सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेशो में किये गए खर्च को आरबीआई की उदारीकृत धनप्रेषण योजना (एलआरएस) में डाल दिया है। इसके असर के तौर पर अगर कोई भी अंतराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से विदेश में भुगतान करता है तो उस पर 20 फीसदी का टीसीएस लगेगा। अभी तक यह पांच फीसदी है। इस फैसले पर विशेषज्ञों और संबंधित पक्षो ने तीखी प्रतिक्रिया जताई थी। इसके बाद सरकार को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य एलआरएस और टीसीएस के संबंध में प्रक्रिया संबंधी अस्पष्टता को दूर करना है। इस साल के

बजट में विदेशी टूर पैकेज एवं एलआरएस के तहत विदेश भेजे गए पैसे पर टीसीएस को पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 20% करने का प्रस्ताव रखा गया था। नई कर दर एक जुलाई से प्रभावी होगी।

अभी इतना लगता है विदेश में खर्च पर कर

चिकित्सा इलाज और शिक्षा पर सात लाख रूपये से अधिक के विदेशी खर्च पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रूपये की सीमा से अधिक पर कम दर यानी 0.5 प्रतिशत का टीसीएस ही लगेगा। वहीं, रियल एस्टेट में निवेश एवं विदेश की यात्रा पर 20% कर लगेगा। किसी देश से कोई सॉफ्टवेयर खरीदने या उसका सब्सक्रिप्शन लेने पर 20 फीसदी की दर से टीसीएस लगेगा।

2.5 लाख डॉलर से ऊपर लेनदेन पर मंजूरी जरुरी

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में विदेशी मुद्रा प्रबंधन (फेमा) संशोधन नियम, 2023 के माध्यम से क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेश में होने वाले खर्च को एलआरएस योजना में शामिल किया था। इसके बाद 2.5 लाख डॉलर से अधिक मूल्य की विदेशी मुद्रा के किसी भी धन- प्रेषण के लिए आरबीआई की मंजूरी लेनी होगी।

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

इसलिए हुआ बदलाव

एलआरएस के तहत डेबिट कार्ड से भुगतान पहले ही शामिल थे लेकिन क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च इस सीमा में नहीं आते थे। इससे कई लोग एलआरएस सीमा को पार कर जाते थे। विदेश पैसे भेजने की सुविधा देने वाली कंपनियों के आंकड़ों से पता चला कि 2.50 लाख डॉलर की मौजूदा एलआरएस सीमा से अधिक खर्च की अनुमति वाले क्रेडिट कार्ड जारी किए जा रहे है।

करदाताओं को राहत देने के लिए टीडीएस से टीसीएस को जोड़ने की तैयारी में सरकार: सीईए

आयकरदाताओं को राहत देने के लिए सरकार किसी व्यक्ति की आय के स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) से उसके भुगतान के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) को जोड़ने की तैयारी कर रही है। मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) अनंत नागेश्वरन ने कहा, ऐसा करने के पीछे सोच यह है कि व्यक्तिगत करदाताओं के नकदी प्रवाह पर कोई असर न पड़े।

सीईए ने सरकार के कदम के बचाव में कहा, आपके टीडीएस से टीसीएस को ऐसे जोड़ा जाएगा कि अगर आपने टीसीएस का भुगतान किया है तो वह कम टीडीएस के रूप में नजर आए। टीसीएस और टीडीएस के बीच कोई मेल न होने से परेशान करदाताओं को नई व्यवस्था से राहत मिलेगी। टीसीएस किसी विक्रेता की ओर से सामान या सेवा की बिक्री के समय वसूला जाने वाला कर है। टीडीएस सरकार की ओर लगाया जाने वाला कर है।

20% टीसीएस के दायरे में नहीं आएंगे ज्यादातर लेनदेन

सरकार की यह कोशिश ऐसे समय सामने आई है, जब विदेश में 7 लाख से अधिक खर्च पर एक जुलाई, 2023 से 20 फीसदी टीसीएस की व्यवस्था लागू होने जा रही है। सीईए ने कहा, सरकार ने 7 लाख रुपये तक के लेनदेन को टीसीएस से बाहर रखा है। इससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसका मतलब यह भी है कि ज्यादातर लेनदेन 20% टीसीएस के दायरे में नहीं आएंगे।

महिला सम्मान प्रमाणपत्र में टीडीएस नहीं कटेगा

महिलाओं के लिए शुरू की गई महिला सम्मान प्रमाणपत्र बचत योजना से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस नहीं कटेगा। इसपर जो भी ब्याज मिलेगा, उस आय पर प्राप्तकर्ता को आयकर स्लैब के हिसाब से कर देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 16 मई को डाकघर बचत योजना के लिए स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रावधान को अधिसूचित किया है। इसके तहत लड़की या किसी महिला के नाम पर खाता खोला सकता है। महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना की घोषणा 2023-24 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने की थी। इसे एक अप्रैल 2023 से लागू किया गया है।

परिपक्वता अवधि दो साल

इस योजना के तहत अधिकतम दो लाख रूपये जमा कर सकते है। वहीं, न्यूनतम राशि की सीमा एक हजार रुपये है। एक से अधिक खाते भी खुलवा सकते है और इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। लेकिन कुल खाते मिलाकर अधिकतम सीमा दो लाख रूपये ही जमा कर सकते है। इस सालाना 7.5 प्रतिशत ब्याज मिलेगा। जमा राशि दो साल में परिपक्व होगी।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

टीडीएस विवाद के लिए ई-अपील योजना शुरू

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बजट में घोषित ई-अपील योजना को शुरू कर दिया है इससे स्त्रोत पर टैक्स कटौती (टीडीएस) से संबंधित अपीलों के लंबित मामलो को काम करने में मदद मिलेगी। ई-अपील योजना संयुक्त आयुक्त (अपील) इसके समक्ष दायर इसे आवंटित या स्थानांतरित की गई अपीलों का निपटान करेंगे। अब करदाताओं के मूल्यांकन आदेश के खिलाफ दायर अपील के मामलो में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हो सकेगी। आयकर कानून के तहत टैक्स प्राधिकरण के जारी आदेश को कोई भी करदाता पहले आयुक्त (अपील) के प्रभारी अधिकारी के समक्ष चुनौती दे सकता है।

होटल-लॉज चलाने को अनिवार्य होगा पंजीकरण

गली-मोहल्लों से लेकर शहर के बाहर सूनसान में बने होटल-लॉज अब मनमर्जी से नहीं चल सकेंगे। ऐसे होटल-लॉज में आपराधिक घटनाओं व गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। अब होटल-लॉज व आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने वाली ऐसी अन्य इकाइयों के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा। पंजीकरण की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराए जाने के साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का प्राविधान भी किया गया है। इन इकाइयों का पंजीकरण अलग पोर्टल के माध्यम से होगा, जो निवेश मित्र पोर्टल से जुड़ा होगा।

सराय अधिनियम 1867 की धारा 13 के तहत राज्य सरकार की विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए कैबिनेट ने उप्र होटल व अन्य पूरक आवास (नियंत्रण) विनियम-2023 को स्वीकृति दी है, जिसके बाद अब बिना पंजीकरण के संचालित ऐसे भवनों पर शिकंजा कसेगा। प्रदेश में आवास इकाई के पंजीकरण के लिए पोर्टल विकसित किया जाएगा, जिसे निवेश मित्र पोर्टल से एकीकृत भी किया जाएगा। पोर्टल के माध्यम से आवास इकाई का संचालन करने वाले सभी आगंतुकों का नाम, पहचान पत्र, चेक इन-चेक आउट की तिथि के साथ पता साझा करेंगे। ऐसे ही सभी कर्मचारियों के नाम-पता, पहचानपत्र व अन्य विवरण भी साझा करने होंगे। पंजीकरण के बिना किसी इकाई का संचालन नहीं होगा। पोर्टल पर पंजीकरण के लिए आवेदन

की तिथि से 45 दिनों के भीतर सक्षम अधिकारी इकाई का पंजीकरण करेगा। 45 दिनों की इस अवधि के भीतर आवेदन पर निर्णय न होने की दशा में उसे डीम्ड पंजीकरण समझा जाएगा। ऐसे में पीड़ित आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष पुनरीक्षण दायर कर सकेगा। अपीलीय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। विनियम में अनिवार्य आवश्यकताओं का प्राविधान भी किया गया है, जिसके तहत प्रतिष्ठान के मुख्य प्रवेश द्वार पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना होगा। आगंतुक से पूरा विवरण लिए व रजिस्टर में प्रविष्टि के बिना उसे रहने की सुविधा प्रदान नहीं की जाएगा। आवास इकाई के प्रवेश व निकास के सभी बिंदुओं, रिसेप्शन व पार्किंग क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य होगा। सीसीटीवी फुटेज को न्यूनतम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना भी अनिवार्य होगा। आवास इकाई में पर्यवेक्षक/प्रबंधक की उपस्थित भी अनिवार्य होगी।

विनियम के तीन बार उल्लंघन पर निरस्त होगा पंजीकरण

विनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई का भी प्राविधान किया गया है। आवास इकाई को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के साथ ही उसे सुनवाई का अवसर भी प्रदान किया जाएगा। अनिवार्य औपचारिकताओं का जानबूझकर उल्लंघन किए जाने पर सराय अधिनियम 1867 के अनुरूप अर्थदंड लगेगा। ऐसे ही तीन बार जानबूझकर विनियम में निर्धारित अनिवार्य औपचारिकताओं का उल्लंघन करने पर संबंधित इकाई का पंजीकरण प्रमाणपत्र निरस्त होगा। आवास इकाई को सक्षम अधिकारी द्वारा पारित ऐसे सभी आदेशों के विरुद्ध अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर करने का अधिकार होगा पर अपीलीय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

पावर ऑफ अटॉर्नी से संपत्ति बेचने के अधिकार पर अब लगेगी पूरी स्टांप ड्यूटी

पावर ऑफ अटॉर्नी डीड (मुख्तारनामा विलेख) के जरिए अब संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर रजिस्ट्री यानी विक्रय विलेख (सेल डीड) की तरह बाजार मूल्य (सर्किल रेट) के अनुसार स्टांप ड्यूटी देनी होगी। सिर्फ परिवार के सदस्यों के मामले में ही पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पावर ऑफ अटॉर्नी की मौजूदा व्यवस्था में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। इसके साथ ही सरकार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगी रोक हटाने का भी निर्णय किया है।स्टांप एवं पंजीयन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बताया कि पावर ऑफ अटॉर्नी का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर स्टांप ड्यूटी की चोरी की जा रही थी। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही पिछले पांच वर्षों के दौरान एक लाख से अधिक पावर ऑफ अटॉर्नी हुई, जिसमें से ज्यादातर में अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार दिया गया। गौर करने की बात यह है कि विक्रय विलेख के जरिए संपत्ति बेचने पर जहां सर्किल रेट के अनुसार पूरी स्टांप ड्यूटी (कुल सात प्रतिशत तक) लगती है वहीं पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार देने पर अभी मात्र 50 रुपये ही स्टांप शुल्क देना होता है। ऐसे में स्टांप राजस्व के भारी-भरकम नुकसान पर अंकुश लगाने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की मौजूदा व्यवस्था को संशोधित किया गया है। जायसवाल ने बताया कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से अचल संपत्ति को बेचने का अधिकार दिए जाने की दशा में बाजार मूल्य के अनुसार पूरी स्टांप ड्यूटी देनी होगी।मंत्री के अनुसार परिवार के सदस्यों के मामले में पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए अचल संपत्ति बेचने का अधिकार देने पर पांच हजार रुपये की स्टांप ड्यूटी लगेगी। विदित हो कि अभी तक ऐसे मामलों में 50 रुपये की ही स्टाम्प ड्यूटी लगती रही है। जायसवाल ने स्पष्ट किया कि यदि पावर ऑफ अटॉर्नी में संपत्ति को बेचने का अधिकार देने जैसी बात नहीं है तो पहले की तरह 50 रुपये ही स्टांप ड्यूटी लगेगी। मंत्री का मानना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी की संशोधित व्यवस्था से स्टांप राजस्व की चोरी पर अंकुश लगेगा।

- परिवार के सदस्यों के मामले में पांच हजार रूपये ही देनी होगी स्टांप ड्यूटी
- सरकार ने पश्चिमी यूपी में पावर ऑफ अटॉर्नी पर लगी रोक को भी हटाया

विकास प्राधिकरणों, औवि प्राधिकरणों की संपत्तियों की रजिस्ट्री में लगेंगे भौतिक स्टांप

राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास प्राधिकरणों, औधोगिक विकास प्राधिकरणों और उप्र आवास एवं विकास परिषद से खरीदी जाने वाली संपत्तियों की रजिस्ट्री में भौतिक स्टांप का प्रयोग उस अवधि तक अनिवार्य करने का निर्णय किया है जब तक कि कोषागारों- उप कोषागारों में उपलब्ध गैर न्यायिक भौतिक स्टांप का स्टॉक ख़त्म न हो जाए। इसके बाद ही इन कार्यालयों में ई- स्टांपिंग प्रणाली से स्टांप संबंधी कार्य किये जा सकेंगे। इसके लिए स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग की ओर से संबंधित जिलों के उप निबंधक कार्यालयों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी।

केबल या पाइपलाइन बिछाने के लिए बार बार खोदी नहीं जाएंगी सड़कें

अब नगरीय क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कों को टेलीफोन, बिजली या आप्टिकल फाइबर केबल डालने या पाइप्ड नैचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए मनमाने तरीके से काटा या खोदा नहीं जा सकेगा। नगरीय क्षेत्रों में बनाई जाने वाली सड़कों में इन उपयोगिताओं के लिए डक्ट की व्यवस्था करनी होगी। जो निजी सेवा प्रदाता इन उपयोगिताओं के लिए डक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें इसके लिए किराया/शुल्क देना होगा। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सड़कों के किनारे डक्ट निर्माण के मानकों को मंजूरी दे दी है। यह मानक भारतीय रोड कांग्रेस के दिशा-निर्देशों के अनुसार होंगे। इसका फायदा यह होगा कि सड़कों को बार-बार मनमाने तरीके से खोदा नहीं जा सकेगा। डक्ट बनने पर सड़क के किनारे अतिक्रमण नहीं हो सकेगा। अभी टेलीफ़ोन, बिजली या आप्टिकल फाइबर केबल डालने या पाइप्ड नैचुरल गैस की पाइपलाइन बिछाने के लिए सड़कों को काटा या खोदा जाता है। इसे लोगों को असुविधा भी होती है। नियोजन और विभिन्न विभागों के बीच सांमजस्य के अभाव में कई बार नई सड़क बनने के बाद ही उसे इन उपयोगिताओं के लिए खोद दिया जाता है।

पांच करोड़ से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए भी ई - चालान जरुरी

सालाना पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को एक अगस्त, 2023 से सभी बिजनेस-टु-बिजनेस (बी2बी) लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इनवॉयस (चालान) निकालना होगा। अभी तक 10 करोड़ या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालना होता है। इस कदम से न सिर्फ फर्जीवाड़ा रोकने में मदद मिलेगी बल्कि सरकारी राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। वित्त मंत्रालय की 10 मई को जारी अधिसूचना के मुताबिक, बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान निकालने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। जीएसटीएन पोर्टल पर मौजूद 11 मई तक आंकड़ों के मुताबिक, ई-चालान निकालने के लिए कारोबार की सीमा घटाने से देशभर के 45 लाख और उत्तर प्रदेश के तीन लाख से ज्यादा व्यापारी ऑनलाइन निगरानी के दायरे में आ गए हैं।

इसलिए लागू की जा रही व्यवस्था

ई-चालान व्यवस्था को 2020 में 500 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए लागू किया गया था। उसी समय कर संस्थानों ने इसके पांच साल में छोटे व्यापारियों पर भी लागू होने का अनुमान जता दिया था।

- पिछले एक साल में जीएसटी चोरी 54,000 करोड़ से बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गई। बढ़ती कर चोरी पर लगाम लगाने के लिए छोटे कारोबारों को भी ई-चालान के दायरे में शामिल किया जा रहा है।

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103

Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035

Fax: 0121-2441009

Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

लागत में कमी आने के साथ होंगे ये लाभ

डेलॉय इंडिया के भागीदार महेश जयसिंह ने कहा, सरकार की इस घोषणा से ई-चालान के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का दायरा बढ़ेगा। ई-चालान कंपनियों के लिए एक वरदान है। इसे उन्हें लागू करने की आवश्यकता होगी।

- एमएसएमई क्षेत्र को ई-चालान व्यवस्था के दायरे में शामिल करने से लागत घटेगी। तेजी से चालान का प्रसंस्करण सुनिश्चित होगा।
- सौदों की ऑनलाइन जानकारी राज्य और केंद्र के जीएसटी विभाग के निगरानी में आ जाएगी।
- कर चोरी की गुंजाइश खत्म होगी। खास तौर पर फर्जी बिल काटकर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने जैसे फर्जीवाड़े पर रोक लगेगी।

ई-चालान हर लेनदेन का यूनिक नंबर: जीएसटी में ई-चालान ऐसा सिस्टम है, जिसमें किसी भी लेनदेन की रसीद को जीएसटी नेटवर्क सत्यापित करता है। वह हर सामान्य रसीद को ई-रसीद में बदल देता है। हर रसीद के लिए विशिष्ट पहचान संख्या (यूनिक नंबर) जारी होती है।

ई- चालान अपलोड करने की शर्त तीन माह टाली

जीएसटीएन ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों या व्यवसायों के लिए अपने पुराने ई-चालान को अपलोड करने की समयसीमा के क्रियान्वयन को तीन महीने के लिए टाल दिया है।

पिछले महीने जीएसटीएन ने कहा था कि इन कंपनियों को अपने ई-चालान को सात दिन के अंदर चालान पंजीकरण पोर्ट पर डालना होगा। पहले यह व्यवस्था एक मई से लागू होने जा रही थी, लेकिन अब इसे तीन महीने के लिए टाल दिया गया है।

मौजूदा व्यवस्था के तहत कंपनियां इस तरह के चालान को वर्तमान तिथि पर डालती है। इसमें आईआरपी पर चालान अपलोड करने के लिए व्यवसायों पर कोई प्रतिबंध नहीं था। जीएसटी कानून के अनुसार, यदि आईआरपी पर चालान अपलोड नहीं किए गए, तो कंपनियां इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा सकती हैं। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार

रजत मोहन ने कहा कि चालान की तारीख से सात दिन के भीतर ई-चालान जारी करने की इस नयी आवश्यकता से यहां तक कि बड़े व्यवसाय भी हैरान थे।

बकाये का 25 फीसदी देकर बिजली चालू करा सकेंगे

बिजली बिल बकाये के कारण कनेक्शन के अस्थाई रूप से कट जाने से परेशान उपभोक्ताओं को प्रबंधन ने बड़ी राहत दी है। ऐसे उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25% जमा कर अपना बिजली कनेक्शन फिर से जुड़वा सकते हैं। बाकी रकम धीरे-धीरे किस्तों में देने की सुविधा इन्हें दी जाएगी।

विभागीय समीक्षा बैठक में पावर कारपोरेशन चेयरमैन एम. देवराज ने अफसरों को निर्देश दिए कि बिजली बिल भुगतान की पार्ट पेमेंट सुविधा लाभ उपभोक्ताओं को उनके मुताबिक दिया जाए। चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री की मंशा के मुताबिक उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने के लिए कारपोरेशन प्रतिबद्ध है। उपभोक्ता पार्ट पेमेंट का लाभ ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से ले सकते है। उपभोक्ता घर बैठे लाभ ऑनलाइन ले सकते है।

कैश कॉउंटरो पर भी आंशिक भुगतान की सुविधा: चेयरमैन ने बताया है कि विभागीय कैश कॉउंटरो पर भी ऑनलाइन माध्यमों से बिलों के आंशिक भुगतान की सुविधा दी गई है। आंशिक भुगतान न्यूनतम 100 रूपये तक जमा हो सकता है। माह में एक बार से अधिक भी आंशिक भुगतान कर सकेंगे।

- शेष रकम किस्तों में देने की सुविधा देगा निगम
- ऑनलाइन - ऑफलाइन दोनों तरह की सुविधाएं

DAS HYUNDAI
At Hyundai, We are going
Beyond Mobility
Das Building, Abulane, Meerut
Mob: 9557909977, 9557909988

बिजली उपभोक्ता ले सकेंगे मुआवजा

नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कारपोरेशन ने तीन वर्ष बाद लागू किया कानून

तय अवधि में विद्युत संबंधी समस्या के दूर न होने पर उपभोक्ता, बिजली कंपनियों से मुआवजा ले सकेंगे। विद्युत नियामक आयोग के निर्देश पर पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने तत्काल प्रभाव से राज्य में मुआवजा संबंधी कानून लागू कर दिया है। उपभोक्ता को मुआवजा तभी मिलेगा जब वह विद्युत संबंधी समस्या के समाधान के लिए पहले-पहल कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराएगा। अगर समय से समस्या दूर नहीं होती है तो उपभोक्ता को ही टोल फ्री नंबर के जरिए मुआवजे की मांग भी करनी होगी।

कनेक्शन से लेकर लोकल फाल्ट आदि के तय अवधि में ठीक न होने पर उभोक्ताओं को मुआवजे संबंधी रेगुलेशन तो विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2019 में ही जारी कर दिया था लेकिन बिजली कंपनियां उसे लागू करने में हीला-हवाली कर रही थी। इस पर आयोग ने कड़ा रुख दिखाया तो पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने मुआवजा कानून को प्रदेशभर में आनलाइन साफ्टवेयर के माध्यम से लागू करने का निर्णय किया। पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज की ओर से सभी विद्युत वितरण कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। बताया गया है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (प्रदर्शन का मानक) विनियमावली-2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आनलाइन प्रणाली विकसित की गई है। बिजली कंपनियों के कस्टमर केयर सेंटर के टोल फ्री नंबर 1912 पर मुआवजे की मांग करने पर उपभोक्ता को अलग से शिकायत नंबर मिलेगा। इसके साथ ही मुआवजा मिलने की प्रक्रिया स्वतः आनलाइन शुरू हो जाएगी। उपभोक्ता को विद्युत बिल के माध्यम से मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। कारपोरशन अध्यक्ष देवराज ने बताया कि बकाएदार विद्युत उपभोक्ताओ को मुआवजे का लाभ नहीं मिलेगा।

- उपभोक्ताओं को टोल फ्री नंबर पर करनी होगी शिकायत
- बकाएदार उपभोक्ताओं को मुआवजा का नहीं मिलेगा लाभ

अधिकतम 60 दिनों में मिलेगा मुआवजा

बिजली संबंधी किसी भी सेवा में कमी के संबंध में तय मुआवजा अधिकतम 60 दिनों में उपभोक्ताओं को मिलेगा। मिलने वाले मुआवजे की अधिकतम धनराशि भी तय की गई है। किसी भी उपभोक्ता को उसके द्वारा वित्तीय वर्ष में दी गई फिक्स/डिमाण्ड चार्ज के 30 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा नहीं मिलेगा। मसलन, शहरी घरेलू उपभोक्ता को प्रति किलोवाट प्रतिमाह 110 रुपये फिक्स चार्ज देना होता है। अगर एक किलोवाट का कनेक्शन है तो उपभोक्ता द्वारा वर्षभर में 1320 रुपये फिक्स चार्ज दिया जाता है। ऐसे उपभोक्ता, प्रतिवर्ष कुल फिक्स चार्ज का 30 प्रतिशत यानी 396 रुपये मुआवजा ले सकते हैं।

हर समस्या पर मुआवजा

- घरेलू बिजली कनेक्शन के लिए-50 रुपये प्रतिदिन
- कॉल सेंटर द्वारा रिस्पॉन्स न देने, शिकायत नंबर न देने पर-50 रुपये प्रतिदिन
- श्रेणी एक, शहरी क्षेत्रों में कम आपूर्ति पर-20 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटे
- ग्रामीण क्षेत्रों में कम आपूर्ति पर-10 रुपये प्रति किलोवाट प्रतिघंटे

बिजली बहाल न होने पर

- सामान्य फ्यूज उडऩे पर-50 रुपये प्रतिदिन
- ओवरहेड लाइन, भूमिगगत केबिल पर-100 रुपये प्रतिदिन
- ग्रामीण ट्रांसफार्मर पर-150 रुपये प्रतिदिन

बड़े व्यवधान पर मुआवजा

- ट्रांसफार्मर से वोल्टेज समस्या-50 रुपये प्रतिदिन
- वोल्टेज के लिए नई लाइन की जरूरत-100 रुपये प्रतिदिन
- वोल्टेज के लिए उपकेंद्र की जरूरत-250 रुपये प्रतिदिन
- छह फीसद कम व ज्यादा लो वोल्टेज पर-50 रुपये प्रतिदिन
- नौ फीसद कम व छह फीसद ज्यादा हाइवोल्टेज पर-50 रुपये प्रतिदिन
- 12.5 फीसद कम और 10 फीसद ज्यादा ईएचवी पर-50 रुपये प्रतिदिन

अविद्युतीकृत क्षेत्रों को राहत

- जहां मौजूदा तंत्र पर्याप्त हो-100 रुपये प्रतिदिन
- जहां नई लाइन बनानी हो-250 रुपये प्रतिदिन
- जहां उपकेंद्र बनाना हो-500 रुपये प्रतिदिन
- अस्थाई कनेक्शन पर-100 रुपये प्रतिदिन
- कनेक्शन के टाइटिल ट्रांसफर, श्रेणी परिवर्तन पर-50 रुपये प्रतिदिन
- स्थाई विच्छेदन, रिकनेक्शन पर-50 रुपये प्रतिदिन
- सिक्योरिटी रिफंड, अदेयता प्रमाण पत्र पर-50 रुपये प्रतिदिन

बिल संबंधी मुआवजा

- बिल संबंधी शिकायत पर-50 रुपये प्रतिदिन
- लोड घटाने-बढ़ाने, कनेक्शन खत्म कराने पर-50 रुपये प्रतिदिन

मीटर संबंधी

- उसी परिसर में शिफ्टिंग पर-50 रुपये प्रतिदिन
- मीटर रीडिंग पर-200 रुपये प्रतिदिन
- खराब, जला मीटर बदलने पर-50 रुपये प्रतिदिन

SHUBHAM ORGANICS LIMITED

Mfrs. of:

Pharmaceuticals Industrial Chemicals, Bulk Drugs & Drug Intermediates

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area, Partapur
Meerut- 250103 (U.P.) India
Ph.: 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd. Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

निर्यातकों की ब्याज सब्सिडी सीमा तय

सरकार ने आयात -निर्यात कोडधारक को एक वित्त वर्ष में 10 करोड़ रूपये की ब्याज अनुदान सीमा तय कर दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सुचना में कहा कि किसी वित्त वर्ष में एक आईईसी धारक को अधिकतम 10 करोड़ रूपये की शुद्ध अनुदान राशि दी जाएगी। एक अप्रैल से किए गए सारे भुगतान की गणना की जाएगी। रिजर्व बैंक ने मार्च, 2022 में एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात के पहले एवं बाद में रूपये में क्रेडिट की ब्याज योजना को मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया था।

भूखंड पर 10 साल निर्माण नहीं तो 40% लगेगा शुल्क

भूखंड खरीद कर उसे सालों तक खाली छोड़ने वाले लोगों, संस्थाओ, बिल्डरों तथा व्यवसायियों पर आवास विकास परिषद शिकंजा कसने जा रहा है। भूखंड का कब्ज़ा मिलने के 10 वर्ष के भीतर अगर निर्माण नहीं हुआ तो संबंधित भूखंड स्वामी को उसकी नीलामी कीमत का 40% समयवृद्धि शुल्क देना होगा। फ्लैट खरीदने वाला जो भी आवंटि 60 दिनों में परिषद को पूरा पैसा जमा कर देगा उसे पूरी कीमत पर 10% छूट मिलेगी। आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में इस पर अंतिम फैसला होगा। आवास विकास परिषद पूरे प्रदेश में संपत्तियां बेचता है। हजारो की संख्या में उसके अनावासीय, व्यावसायिक, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल कॉलेज, सामुदायिक केंद्र सहित तमाम श्रेणी के भूखंड खाली पड़े है। इनमे से तमाम भूखंडों पर निर्माण नहीं हुआ है।

इस तरह देना शुल्क

- 5 वर्ष तक कोई शुल्क नहीं
- छठे वर्ष में भूखंड का 5 प्रतिशत
- 7वें वर्ष में भूखंड का 10 प्रतिशत
- 8 वें वर्ष में 15 प्रतिशत
- 9वें वर्ष में 20 प्रतिशत
- 10वें वर्ष में भूखंड की कीमत का 30% शुल्क
- 10 वर्ष से अधिक होने पर 40%, 15 वर्ष तक के लिए अनुमन्य

ईपीएफओ: उच्च पेंशन के लिए अतिरिक्त भुगतान पर सहमति देने को मिलेगा तीन महीने का समय

उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की पेंशन योजना के अंशधारकों और पेंशनभोगियों को अतिरिक्त योगदान या बकाया देने को लेकर अपनी सहमति जताने के लिये तीन महीने का समय दिया जाएगा।

पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये चार महीने का समय देने को कहा था। ईपीएफओ ने अंशधारकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिये नियोक्ताओं के साथ संयुक्त विकल्प फॉर्म भरने के लिये ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है। इस बात को लेकर चीजे साफ नहीं है कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने पर अतिरिक्त योगदान का विकल्प कैसे काम करेगा।

क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे रकम का निर्धारण

अतिरिक्त राशि का निर्धारण क्षेत्रीय अधिकारी करेंगे। जो भी राशि निर्धारित होगी, ब्याज सहित उसके बारे में सूचना उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले अंशधारकों को दी जाएगी। इस माह की शुरुआत में श्रम मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालो के मूल वेतन का 1. 16 फीसदी अतिरिक्त योगदान ईपीएफओ की संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में नियोक्ता से लिया जाएगा।

25 लाख रूपये तक के अवकाश नकदीकरण पर नहीं लगेगा टैक्स

वित्त मंत्रालय ने निजी कर्मचारियों सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण (लीव इनकैशमेंट) के रूप में मिलने वाली राशि पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ा दी। अब अवकाश नकदीकरण के रूप में मिलने वाले 25 लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023- 24 के बजट में इसकी घोषणा की थी।

अभी तक तीन लाख रूपये तक की राशि करमुक्त थी। यह सीमा 2002 में तय की गई थी। उस समय सरकार का अधिकतम बेसिक वेतन 30 हजार रूपये प्रतिमाह था। सीबीडीटी ने एक बयान

में कहा कि गैर- सरकारी कर्मचारी को एक या इससे अधिक नियोक्ता से मिलने वाली ऐसी छूट राशि की अधिकतम सीमा 25 लाख रूपये होगी। यह छूट सीमा एक अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी।

21 देशो वाले निवेश पर नहीं लगेगा एंजल टैक्स

वित्त मंत्रालय ने 21 ऐसे देशो की सूची जारी की है जिनसे गैर- सूचीबद्ध भारतीय स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश पर एंजल टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने बजट में गैर- सूचीबद्ध स्टार्टअप्स को मिलने वाले विदेशी निवेश को एंजल टैक्स के दायरे में शामिल करने की घोषणा की थी। हालांकि, इसमें डीपीआइआइटी से मान्यताप्राप्त स्टार्टअप शामिल नहीं थे। स्टार्टअप और वेंचर कैपिटल उद्योग कुछ निश्चित देशो से मिलने वाले निवेश पर टैक्स छूट की मांग कर रहे थे। जिन देशो के निवेश को छूट दी गई है, उनमे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और स्पेन प्रमुख है। अन्य देशो में ऑस्ट्रिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, डेनमार्क, फ़िनलैंड, इजराइल, इटली, आइसलैंड, जापान कोरिया, रूस, नार्वे, न्यूज़ीलैंड और स्वीडन शामिल है। इस सूची में सिंगापुर, नीदरलैंड और मारिशस जैसे देश शामिल नहीं है।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing,
Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

केवाईसी नहीं होने पर बंद न हो बैंक खाता

आरबीआइ के पूर्व डिप्टी गवर्नर वाली समिति ने ग्राहक सेवा की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर दिए सुझाव

देश में बैंकिंग का विस्तार तो काफी तेजी से हो रहा है लेकिन ग्राहकों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में यह बात भरोसे से नहीं कही जा सकती है। आरबीआइ अब बैंकों के ग्राहकों को बेहतर सेवा देने, उन्हें बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने और अत्याधुनिक तकनीक के जरिये अंतरराष्ट्रीय स्तर की बैंकिंग सेवा देने की कोशिश कर सकता है। पिछले वर्ष केंद्रीय बैंक ने अपने निगमित निकायों में बैंकिंग सेवा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने पर सुझाव देने के लिए जो समिति गठित की थी उसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है

कानूनगो समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि केवाईसी नहीं होने पर बैंकों को ग्राहकों के बैंक खाते को बंद करने का फैसला नहीं करना चाहिए। बैंक एक निश्चित अंतराल पर ग्राहकों की केवाईसी (पहचान का सत्यापन) सत्यापित कराते है। कई बार यह देखा गया है कि इस बारे में ग्राहकों को कोई सूचना दिए बगैर ही उनका खाता बंद कर दिया जाता है। समिति ने ऐसी व्यवस्था करने को कहा है कि जिससे बार- बार केवाईसी कराने की जरूरत नहीं हो। इसी तरह से होम लोन लेने वाले ग्राहकों को समय पर प्रॉपर्टी के कागजात देने की बात कही गई है।

समिति ने कहा है कि आरबीआइ को ग्राहकों के अधिकार का एक चार्टर बनाकर उसे बैंको के लिए अनिवार्य करने पर विचार करना चाहिए। ग्राहकों के सेवा से संबंधित सारे नियमों को एक साथ संकलित करने का भी सुझाव दिया गया है ताकि पूरे बैंकिंग क्षेत्र में एक जैसी सेवा सुनिश्चित की सके।

- ग्राहकों के अधिकार का चार्टर बनाकर उसे बैंकों के लिए अनिवार्य करने पर विचार हो
- ग्राहकों के सेवा से संबंधित सारे नियमों को एक साथ संकलित करने का भी सुझाव दिया

SAI ELECTRICALS

Dealing in:
Transformer & Servo
Sai Dhaam, Vicyoria Park, Meerut-250001
Mob. No.: 7533900800, 9927869400
E-mail: info@saielectricals.com Website: www.saielectricals.com

शिकायतों का बनाया जाए कॉमन पोर्टल

ग्राहकों की तरफ से शिकायतों को समय पर दर्ज कराने और उनका समय पर निपटारे को लेकर भी कुछ सिफारिशें है। भारत में साल में एक करोड़ से ज्यादा बैंक ग्राहक तरह - तरह की सेवाओं या उत्पादों को लेकर शिकायतें करते है। इन सभी का एक कामन पोर्टल बनाने का सुझाव है ताकि वहां आसानी से शिकायतें भी दर्ज कराई जाए और उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, यह पता लगाया जा सके। दुव्यर्वहार की समस्या के समाधान के लिए बैंककर्मियों को ट्रेनिंग देने का सुझाव दिया गया है।

धोखाधडी वाली राशि को ट्रांसफर करने पर रोक लगे

डिजिटल धोखाधडीको रोकने और इससे ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा करने को लेकर भी सुझाव दिए गए है। जैसे साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर बैंक ग्राहकों के साथ हुई धोखाधडी को तेजी से दर्ज कराने, धोखाधडी की राशि को एक बैंक खाते से दूसरे बैंकों के खाते ट्रांसफर करने पर रोक लगाने के लिए बैंकों के बीच तालमेल को बढ़ाने, स्क्रीन शेयरिंग को रोकने के लिए बैंकों के स्तर पर तकनीक उन्नयन करने की बात है।

समिति की अन्य सिफारिशें

- बैंककर्मियों को दिया जाए ग्राहकों से बेहतर व्यवहार का प्रशिक्षण
- सभी एटीएम में एक ही तरह की सूचना देने की व्यवस्था हो
- डिजिटल फ्राड को रोकने के लिए विशेष कदम उठाएं बैंक
- सेवा से असंतुष्ट ग्राहकों के शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था आसान हो
- साइबर क्राइम से बैंक ग्राहकों को बेहतर सुरक्षा का हो इंतजाम
- प्रॉपर्टी कागजात जल्द लौटाए जाएं

शहर में स्थापित होगा डाक निर्यात केंद्र

उप्र के नौ शहरों में शुरुआत के बाद अब जल्द ही आपके शहर में छोटे व्यापारियों के लिए डाक विभाग निर्यात केंद्र शुरू करने जा रहा है। निर्यात बढ़ाने में छोटे व मझले व्यापारियों की आमदनी में इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। अभी तक यह प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, पीलीभीत, नोएडा सहारनपुर, नगीना, महोबा व गाजीपुर में स्थापित है। हाल ही में शहर घंटाघर स्थित प्रधान डाकघर में बरेली से निरीक्षण करने पहुंचे पोस्टमॉस्टर जनरल संजय सिंह ने बताया कि एमएसएमई के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु व मध्यम उधमों को इससे काफी बढ़ावा व लाभ होगा। वाणिज्यिक निर्यात के लिए बनाई गई यह योजना प्रदेश के अन्य केंद्रों पर वर्तमान परिस्थितियों में सफल साबित हुई हैं। दूसरी तरफ, निजी माध्यम से निर्यात के लिए आने वाली लागत अधिक है। प्रक्रिया भी बोझिल है। डाक विभाग की यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। इस प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन बुक किया गया सामान दिल्ली में विदेशी डाकघर में ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से कंसाइनमेंट ट्रैक की तरह डाक विभाग की वेबसाइट पर देखा जाता है। निर्यातक अपने सामान की लोकेशन को डाक विभाग की वेबसाइट पर देख सकता है। विदेशी डाकघर सीमा शुल्क विभाग से जुड़े हैं। जो उत्पादों की कस्टम क्लीयरेंस की प्रक्रिया को सरल करते हैं। सीमा शुल्क के साथ कोई परेशानी होने पर उस विषय को ऑनलाइन स्तर पर ही निराकरण किया जा सकेगा। पोस्टमॉस्टर जनरल ने बताया कि जल्द ही शहर में इसकी स्थापना होगी।

ट्रेडस ने दूर किया एमएसएमई के भुगतान का संकट

इस प्लेटफार्म पर बिक्री बिल अपलोड करके बैंक या वित्तीय संस्थाओं से पैसा ले सकते है छोटे कारोबारी

ट्रेड रिसिवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स) प्लेटफार्म से जुड़कर एमएसएमई अपने भुगतान में देरी की समस्या से छुटकारा पा सकती है। एमएसएमई मंत्रालय अपनी साइट्स पर इस प्रकार के प्लेटफार्म की जानकारी भी दे रहा है, ताकि एमएसएमई इन प्लेटफार्म से जुड़ सके। बिक्री के बदले तुरंत भुगतान मिलने से छोटे उद्यमियों को कार्यशील पूंजी की दिक्कत नहीं रहेगी। कई

बार पूंजी के अभाव में एमएसएमई नए ऑर्डर तक नहीं ले पाते हैं। अभी एमएसएमई को कंपनियां दो-तीन महीने के बाद भुगतान करती हैं और कई बार तो महीनों लगा देती हैं। इस प्रणाली के तहत एमएसएमई को उनके बिके हुए माल के बिल के बदले बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान तत्काल रूप से भुगतान कर देते हैं। बैंक बाद में माल खरीदने वाली यूनिट से भुगतान वसूल लेता है। आरबीआई की अनुमति से अब प्रमुख बैंकों के साथ छोटे-छोटे वित्तीय संस्थान भी इस प्रकार के भुगतान का काम करने लगे हैं। इस भुगतान में वित्तीय संस्थाओं के लिए भी कोई जोखिम नहीं होता है क्योंकि खरीदार यूनिट द्वारा बिल को लेकर हामी भरे जाने के बाद ही विक्रेता यूनिट को भुगतान किया जाता है। बड़ी कंपनियों को यह लाभ मिलता है कि एमएसएमई को भुगतान में देरी पर उन्हें पेनाल्टी का डर नहीं सताता है। एमएसएमई मंत्रालय अपनी वेबसाइट पर ट्रेड्स प्लेटफार्म से जुड़ने के लिए तीन साइट्स भी दिए हैं।

भुगतान के लिए नहीं करनी पड़ती अतिरिक्त कागजी कार्यवाही

इंटीग्रेटेड एसोसिएशन ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला ने बताया कि अब 500 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को एमएसएमई से खरीदे गए माल का बिल ट्रेड्स प्लेटफार्म पर डालना होता है। ट्रेड्स प्लेटफार्म पर दर्जनों वित्तीय संस्थाएं होती हैं जो इस बिल को देखकर विक्रेता कंपनी को निश्चित ब्याज पर तत्काल भुगतान की पेशकश करती है। विक्रेता कंपनी को इस भुगतान को पाने के लिए कोई अतिरिक्त कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी पड़ती है। वित्तीय संस्थाएं खरीदार कंपनी से बाद में वह भुगतान प्राप्त कर लेती है।

ANUBHAVI CONSTRUCTIONS

"A" Class Govt. Approved Electrical & Civil Contractor

We Specialize in Turnkey Power Project of 33/11 KV Sub-Station, HT/LT Line Works and D.G. Set Works

171/1, Abulane Phuwara Chowk, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-4301800, Mob. No.: 9719930800
E-mail: anubhavi1constructions@yahoo.com

दूर होती लाजिस्टिक लागत की चुनौती

हाल में प्रकाशित विश्व बैंक के लाजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, 2023 में भारत छह पायदान की छलांग के साथ 139 देशों की सूची में 38वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत 2018 में इस सूचकांक में 44वें तथा 2014 में 54वें स्थान पर था। पीएम गति शक्ति योजना और नई लाजिस्टिक्स नीति के क्रियान्वयन से भारत में लाजिस्टिक लागत में कुछ कमी आने के संकेत मिलने लगे हैं। आधुनिकीकरण एवं डिजिटलीकरण से भी भारत का लाजिस्टिक प्रदर्शन बेहतर हुआ है। सामान्यतया वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल की लागत पहले क्रम पर और मजदूरी की लागत दूसरे क्रम पर होती है। फिर लाजिस्टिक लागत का क्रम आता है। लाजिस्टिक लागत का मतलब है उत्पादों एवं वस्तुओं को उत्पादित स्थान से गंतव्य स्थान तक पहुंचाने तक लगने वाले परिवहन, भंडारण एवं अन्य खर्च। लाजिस्टिक लागत कम या अधिक होने में बुनियादी ढांचे की अहम भूमिका होती है। यदि बुनियादी ढांचे की सुविधाएं उपयुक्त हों तो तेजी से सामान पहुंचने, परिवहन संबंधी चुनौतियां और ईंधन की लागत कम होने से भी लाजिस्टिक लागत कम हो जाती है। यदि निर्धारित समय में बुनियादी ढांचे संबंधी परियोजनाएं पूरी हो जाती हैं तो भी लाजिस्टिक लागत में कमी आती है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार की गति शक्ति योजना करीब 100 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसका लक्ष्य देश में एकीकृत रूप से बुनियादी ढांचे का विकास करना है। वस्तुतः देश में सड़क, रेल, जलमार्ग आदि से जुड़े जो इन्फ्रास्ट्रक्चर हैं, वे अलग-अलग 16 मंत्रालयों और विभागों के अधीन हैं। इनके बीच में सहकार एवं समन्वय बढ़ाना गति शक्ति योजना का मुख्य ध्येय है। इस योजना के तहत विभिन्न विभागों की अवसंरचना विकास से जुड़ी गतिविधियों को एक केंद्रीकृत डिजिटल पोर्टल के तहत लाया जा रहा है।

साथ ही रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन और लाजिस्टिक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर के रूप में चिह्नित किए गए सात इंजनों के तहत भारतमाला (राजमार्ग), सागरमाला (तटीय नौवहन), उड़ान (वायु सेवाओं), भारत नेट (दूरसंचार सेवाओं), रेलवे विस्तार और अंतर्देशीय जलमार्ग विस्तार जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को समन्वित रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। वस्तुतः, नई लाजिस्टिक नीति गतिशक्ति योजना की अनुपूरक है। इसका प्रमुख लक्ष्य माल परिवहन की लागत घटाकर सभी उद्योगों को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में

भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना भी है। लाजिस्टिक नीति के जरिये देश में अगले दस वर्षों में लाजिस्टिक्स सेक्टर की लागत को घटाकर 10 प्रतिशत तक लाया जाएगा।

चूंकि वर्तमान में लाजिस्टिक्स का ज्यादातर काम सड़कों के जरिये होता है, अत: अब नई नीति के तहत रेल ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट पर भी जोर दिया जा रहा है। लगभग 50 प्रतिशत कार्गो को रेलवे के जरिये भेजे जाने का लक्ष्य रखा जा रहा है और सड़कों पर ट्रैफिक को कम किया जा रहा है। देश में बुनियादी ढांचे का तेजी से निर्माण होने लगा है। ऐसे में इंजीनियरिंग, डिजिटलीकरण और बहु-साधन परिवहन जैसे क्षेत्रों पर जोर देकर माल ढुलाई क्षमता में सुधार किया जा रहा है। लाजिस्टिक्स क्षेत्र में ड्रोन का भी इस्तेमाल शुरू हुआ है। नई लाजिस्टिक नीति से भारत पर वैश्विक निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। ऐसे में कई कंपनियां सस्ती लाजिस्टिक लागत की संभावना से भारत में प्रवेश कर रही हैं।

केंद्र सरकार सड़क और रेल मार्ग में सुधार पर ध्यान दे रही है। प्रमुख शहरों और औद्योगिक एवं कारोबारी केंद्रों के बीच की दूरी कम करने के लिए एक तरफ डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर के जरिये रेल मार्ग से माल ढुलाई को तेज करने की कवायद कर रही है। लगभग हर हिस्से में ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके साथ ही राजमार्गों पर आधारित इंडस्ट्रियल कोरिडोर भी बनाए जा रहे हैं। देश का लगभग 95 प्रतिशत विदेश व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। देश में नवीनतम बंदरगाह नीति के तहत बंदरगाह 'लैंडलार्ड माडल' की शुरुआत की गई है। इसके साथ सरकार के स्वामित्व वाले प्रमुख बंदरगाहों की परिचालन जिम्मेदारियां निजी क्षेत्र को सौंपने की रणनीति के कारण बंदरगाह विकास और संचालन में घरेलू और विदेशी निजी क्षेत्र की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इससे कई निर्यात-आधारित उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी है।

निश्चित रूप से भारत उद्योग-कारोबार में विश्व के अन्य देशों से प्रतिस्पर्धा इसलिए नहीं कर पा रहा है, क्योंकि भारत में लाजिस्टिक्स खर्च करीब 13-14 प्रतिशत है। यह अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे देशों से बहुत अधिक है। भारत के मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने में अधिक विनिर्माण लागत सबसे बड़ी चुनौती रही है। ऐसे में लाजिस्टिक लागत घटने से अन्य प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में भारत में मैन्यूफैक्चरिंग लागत में कमी देश को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनने की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाएगी। लाजिस्टिक लागत घटने से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी बढ़ोतरी भी हो सकेगी।

उम्मीद है पीएम गतिशक्ति योजना, नई लाजिस्टिक नीति और नई विदेश व्यापार नीति के कारगर क्रियान्वयन से भारत में लाजिस्टिक लागत को और घटाने में मदद मिलेगी। इसके बाद ही इस समय वैश्विक व्यापार में भारत का जो हिस्सा दो प्रतिशत से भी कम है, वह 2030 तक बढ़कर करीब छह प्रतिशत हो पाएगा। साथ ही इस समय भारत का जो निर्यात 770 अरब डालर है वह 2030 तक बढ़कर 2000 अरब डालर हो सकेगा।

(लेखक एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड रिसर्च, इंदौर के निदेशक हैं)

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.

XXXXXXXXXXXXX